मैनुअल संख्या–12

अनुदान/राजसहायता कार्यक्रम (Subsidy Programmes) के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा :–

राजस्व परिषद् द्वारा अनुदान से संबंधित धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। दै आपदा मद से संबंधित सहायता राशि शासन से सीधे प्रभावित जनपदों को आवंटित की जात है।

मैनुअल संख्या–13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारियों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण :–

रियायत के सम्बन्ध में निर्णय शासन तर से ही लिया जाता है तथा विभिन्न अनुज्ञा पत्रों को जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त एवं शासन (यथा स्थिति) से निर्गत किये जाते हैं।

मैनुअल संख्या–14

इलैक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरें :–

राजस्व परिषद् कार्यालय से कोई भी आम नागरिक सूचना अभिप्राप्त करने व लिए अपनी समस्याओं से सम्बन्धित लिखित आवेदन पत्र अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से सम्पव करने पर चाही गई सूचना इस कार्यालय में स्थापित इलैक्ट्रोनिक उपकरणों यथा–फैक्स दूरभाष, ई–मेल कम्प्यूटर आदि से प्राप्त कर सकता है। राजस्व विभाग से सम्बन्धित मुख सूचनायें राजस्व विभाग की वेबसाइड से इन्टरनेट के माध्यम से जनता को सुगमता स उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अतिरिक्त जनपदों एवं मण्डलायुक्त कार्यालयों से ई–मेल के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है।

इलैक्ट्रानिक रूप से सूचना उपलब्ध कराने के लिए निम्न व्यवस्था उपलब्ध है:–

1. कम्प्यूटर सुविधा–

राजस्व परिषद् कार्यालय के सभी कक्षों में कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है कार्यालय के विभिन्न कक्षों में वर्तमान में 25 कम्प्यूटर स्थापित किये गये हैं और कार्यालय के समस्त कार्य कम्प्यूटर से ही सम्बन्धित सहायकों द्वारा सम्पादित किये जा रहे हैं। इसके

अतिरिक्त मण्डलायुक्त कार्यालय, जिला कार्यालय, उपजिलाधिकारी कार्यालय एवं तहसीलों भी राजकीय कार्य सम्पादन हेतु कम्प्यूटर का उपयोग किया जा रहा है।

2. फैक्स सुविधा–

राजस्व परिषद् मण्डलायुक्त कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, उपजिलाधिका तहसील कार्यालयों में सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान हेतु फैक्स मशीनें स्थापित की गई है मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय में फैक्स नम्बर 0135–2713135 पर स्थापित है।

3. दूरभाष सुविधा–

राजस्व परिषद् कार्यालय में दूरभाष सुविधा निम्नवत उपलब्ध हैं:–

1. दूरभाष नम्बर– 0135–2669203
2. दूरभाष नम्बर– 0135–2669415
3. दूरभाष नम्बर– 0135–2669221

उक्त दोनों दूरभाषों नम्बरों से व ई–मेल crc.ddn99@gmail.cor जनता एवं अधिकारी/कर्मचारी इस कार्यालय से वांछित सूचनाओं की जानकारी हेतु सम्पव स्थापित कर सकते हैं।

4. फोटो स्टेट मशीन सुविधा–

पत्राचार तथा प्रासंगिक सन्दर्भों की प्रतियां निकालने के लिए राजस परिषद् कार्यालय, मण्डलायुक्त कार्यालय, जिला कार्यालय, उपजिलाधिकारी/तहसील कार्यालयों में फोटो स्टेट मशीनें स्थापित की गई हैं। कार्य की सुगमता की दृष्टि से इ मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

5. इन्टरनेट सुविधा–

इस कार्यालय के कृषि गणना एवं कृषि सांख्यिकीय अनुभाग में कृ सांख्यिकीय सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है। जनपदों में ***स्वॉ माध्यम*** से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे इन्टरनेट में उपलब्ध आवश्यव व उपयोगी सूचनाओं को समय–समय पर एकत्रित किया जाता है।

6. भू अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण–

भू अभिलेखों के रखरखाव व अध्यावधिकरण की दृष्टि से भू अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। राज्य की समस्त तहसीलों में भू–अभिलेखों की कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा खाता–खतौनियों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। अब प्रत्येक खातेदार को उनकी मांग पर कम्प्यूटरीकृत खतौनी की नकल निर्धारित शुल्क जमा करने पर तहसील स्तर से उपलब्ध कराई जा रही है।

उत्तरांचल शासन के राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–655/18(1)/2005 दिनांक 5.10.2005 से जारी अधिसूचना **"उत्तरांचल अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली 2005"** प्रख्यापित की गई है।

7. वायरलेस सेट सुविधा–

राजस्व पुलिस क्षेत्रों में राजस्व पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ाये जाने एवं घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही की दृष्टि से नायब तहसीलदार/पेशकार को पूर्व में एक वायरलेस सेट तथा अन्य राजस्व पुलिस कर्मियों यथा पटवारी/राजस्व उप निरीक्षकों को वायरलेस हैण्ड सेट उपलब्ध कराये गये। इसी प्रकार राजस्व निरीक्षकों/राजस्व उप निरीक्षकों को राजस्व पुलिस सम्बन्धी कार्य में गति लाने हेतु पूर्व में 74 मोटरसाइकिलें एवं वर्तमान में 320 मोटर साईकिलें जिलाधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं।

मैनुअल संख्या–15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गयी हो तो उसका विवरण :–

आधार पर नियमानुसार उन्हें प्रतियॉ/नकलें उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही सूचनाएं Public domain में विभागीय बेवसाइट revenue.uk.gov.in जनमानस के लिये उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त वर्तमान में लोक उपयोग के लिये पुस्तकालय/वाचनालय की अस्थाई व्यवस्था के रूप में विभागीय सूचनाओं की अभिप्राप्ति तथा पत्रावलियों/अभिलेखों के अध्ययन के लिये इस कार्यालय के सभागार को वाचन कक्ष के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्व विभाग से सम्बन्धित लोक उपयोगी सूचनाए तैयार कर जनमानस को उपलब्ध कराने हेतु वेबसाईट uk.gov.in/http:// revenue.uk.gov.in में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त लोक उपयोगी सूचनाओं को दैनिक समाचार पत्र एवं कार्यालय में स्थापित सूचना पट्ट पर आम जनता के लिये सूचना उपलब्ध कराई जाती हैं। आम जनता को सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिये इस संगठन/कार्यालय के कृत्यों, दायित्वों, विशिष्टयों, दस्तावेजों, अधिकारियों/कर्मचारियों आदि का पूर्ण विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 के अन्तर्गत निर्दिष्ट 17 बिन्दुवों पर विभागीय मैनुवल में समावित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत कार्यालय प्रांगण के आम स्थान पर सूचना पट्ट लगाया गया है। जिसमें विभागीय लोक सूचना अधिकारी का नाम पता तथा दूरभाष नम्बर अंकित किया गया है।

मैनुअल संख्या 16/(धारा–4(1)(ख) (XV1)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉं:

विभागाध्यक्ष–कार्यालय राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत प्राप्त अनुरोध पत्रों/प्रथम अपीलों के निस्तारण हेतु:–

लोक सूचना अधिकारी:–

श्री कमल किशोर डिमरी
सहायक राजस्व आयुक्त (पशासन)